29.8.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी जा चूकी है। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार ~~वाद~~ दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली ~~मे~~ अब कोई और कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

M/

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या ::– 36/2015

चुन्नीलाल पिता मुतबन्ना मेघा जी मीणा निवासी डेकडीखेकडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1– नोला पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2– बंशी पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
3– घीसा पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4– भैरू पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ फोत के बजाय–
4/1– प्रहलाद पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/2– सत्यनारायण पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/3– दलीचंद पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/4– कंकू पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/5– रामू पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/6– अमरी पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
5– रूकमाबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी भंवरलाल जी मीणा बरून्दनी तहसील मांडलगढ़
6– मांगीबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी उर्जन जी मीणा ग्राम दुगार तहसील बेगूँ
7– ओमाबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी चुन्नीलाल जी मीणा निवासी फुलसरिया (विजयपुर) तह. चितौडगढ़
8– पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
9–राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
10– श्री तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी
श्री एच.सी.शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी1 व 8
श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रति.3

निर्णय दिनांक :– 29.08.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 02.01.2024 में वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ. धा. 152 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण के निर्णय व डिक्री में प्रतिवादी स. 5 रूकमण बाई के स्थान रूकमा बाई एवं प्रतिवादी सं. 7 उमा बाई के स्थान पर ओमा बाई एवं प्रतिवादी स. 8 बालीबाई का स्वर्गवास होने से दौरान वाद ही नाम डिलिट किये जाने के आदेश दिनांक 06.06.2022 को हो चुका है। प्रकरण से प्रतिवादी सं. 8 बालीबाई नाम डिलिट किया जावे उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना जाकर न्यायालय द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 152 सी.पी.सी. को दिनांक 06.03.2024 को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री में संशोधित किया जावे।

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम महेसरा पटवार हल्का राजगढ की निम्नलिखित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पुश्तेनी मिल्कयत की अंकित स्थित हैः–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर मे
545	0.2600
546	1.9600
547	0.0800
548	4.6200
किता–4	6.6200 हैक्टर

यह कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजयीात के भूप्रबंध पूर्व के आराजी नम्बर 643, 644, 646, 647, 649, 650मी0, 651/1, 652/1 किता–9 कुल रकबा 40बीघा 05 बिस्वा थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:–

कजोड पिता भागीरथ

|

काना — मेघा

मेघा → चुन्नीलाल (गोद आया काना से)

काना → चुन्नीलाल (गोद मेघाके), नोला, बंशी, भैरू, घीसा, रूकमा, मांगी, ओमा, बाली बेवा

यह कि उक्त कलम संख्या 2 में वर्ति आराजीयात कजोड जी के समय से कब्जे काश्त में थी जो उनकी मृत्यु पश्चात काना एवं मेघा पिता कजोड के संयुक्त कब्जे काश्त में आयी राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के समय यह भूमि काना एवं मेघा के कब्जे काश्त में होने से धारा 15 के तहत राज0काश्त0 कानून लागू होने के समय जो व्यक्ति कब्जे काश्त में थे उन्हें खातेदारी हक देने के प्रावधान होने से एवं वे स्वतः खातेदार बन जाने से भूमि काना मेघा पिता कजोड के खातेदारी में दर्ज हो जानी चाहिए जो समय पर दर्ज नहीं होने से दिनांक 2.03.1964 को नामान्तरण संख्या 20 खोला गया जिस समय मेधा का देहावसान हो जाने से अकेले काना का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मेघा के साथ साथ वादी चुन्नीलाल का भी (मेघा का दत्तक पुत्र होने से) नाम दर्ज होना चाहिए था जो नहीं किये जाने से वक्त नामान्तरण कार्यवाही वादी के अधिकारी के मुकाबले शुन्य व निःश्प्रभावी कार्यवाही है।

यह कि उक्त भूमि का मेघा का निहित हक हिस्सा 1/2 मेघा जी की मृत्यु पश्चात से आज तक वादी के कब्जे काश्त में बदस्तुर चली आ रही है किन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित होने से रह गया व वादी का नाम वादी के गोद चले जाने बावजूद अपने प्राकृतिक पिता काना की विरासत में दर्ज कर दिया गया जबकि अन्य खातो में वादी का नाम मेधा के दत्तकपुत्र के रूप में राजस्व कर्मचारियों ने सही सही दर्ज कर रखा है जो बदस्तुर चला आ रहा है।

यह कि वादी के पास मौके पर भूमि अपने निहित हक हिस्सा अनुसार 1/2 कब्जे काश्त में होने से एवं राजस्व रेकार्ड में उस अनुसार अंकन नहीं होने से बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पडता है जिससे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को दिनांक 1.02.2015 को तहसील कार्यालय में चल कर राजस्व रेकार्ड सही करा बंटवाडा कराने की कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की घोषणा बाबत प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 19.02.2015 को प्रतिवादी सं0 1से 8 द्वारा राजस्व रेकार्ड को सही करा बॅटवाडा कराने से इंकार करने के कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 9 बैंक के नाम हिस्सा भूमि रहन दर्ज होने से एवं राजस्व आराजीयात के हक की घोषणा के वाद में प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोश की प्रार्थना करता है:–

(क) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की धोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पैतृक होकर वादी का निहित हक ह्रिस्सा 1/2 है जिसे वादी अपने नाम खातेदारदी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है।

(ख) कि वाद घोषणा हिस्सा वादी , वादी का हिस्सा 1/2 जरिये बंटवारा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ग) कि खर्चा मुकद्मा एवं वकील महनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) कि अन्य सहायता जो सुलभ वादी हो प्रदान की जावें।

वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओरसे अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री एच.सी.शर्मा ने प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा कई अवसर दिये जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आने

उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। तदोपरान्त प्रतिवादी 3 घीसा पुत्र काना मीणा की ओर से अधिवक्ता श्री बिल्लू द्वारा दो तरफा कार्यवाही हेतु न्यायालय में आवेदन करते हुए मामले को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दो तरफा करवाते हुए जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वर्णित कृषि भूमि होना स्वीकार है। भूमि हमारे पिता काना जी की थी । यह कि मेघा के औरत भी नहीं थी एवं न ही चुन्नीलाल को विधिवत रूप से गोद रखा गया था, नामान्तरण संख्या 20 सही खोला गया क्यो कि मेघा के देहावसान के समय चुन्नीलाल उसके दत्तक पुत्र न ही था धारा 15 रा0टी0एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण लागु नहीं होते है। यदि चुन्नीलाल मेघा का गोदपुत्र उस समय होता तो वक्त इंतकाल आपत्ति कर सकता था यह सभी कार्यवाही चुन्नीलाल द्वारा पश्चातवर्ती सोच का परिणाम है। नामान्तरण कार्यवाही की जॉच पडताल कर विधि अनुसार की गई थी। चुन्नीलाल का कब्जा काश्त प्रकरण में अंकित भूमि पर नहीं है। यह कि वादी का 1/2 निहित हक हिस्सा खाता संख्या 38 ग्राम महेसरा प0ह0 राजगढ के आराजी संख्या 545, 546, 547, 548 में नहीं है न ही कब्जा भी नहीं है। ना ही दिनांक 19.02.2015 को कोई वाद कारण ही पैदा हुआ है।

पत्रावली में वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ::–

1– आया कि ग्राम महेसरा पटवार हल्का राजगढ तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 545, 546, 547, 548 कुल किता–4 कुल रकबा 6.9200 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पैतृक भूमि होकर वादी का निहित हक हिस्सा 1/2 को वादी अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज करा पाने का अधिकारी है एवं बाद घोषणा वादी का जरिये विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा पान का वादी अधिकारी है? जिम्मेवादी

2– आया कि नामान्तरण संख्या 20 सही खोला गया था, मेघा के देहावसान के समय चुन्नीलाल उसके गोदपुत्र नहीं था यदि चुन्नीलाल गोदपुत्र होता तो वक्त इंतकाल आपत्ति कर सकता था, नामान्तरण कार्यवाही जॉच पडताल कर विधि अनुसार की गई थी धारा 15 आर.टी.एक्ट के प्रभाव इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है अतः वाद वादी का निरस्त योग्य है? जिम्मे प्रतिवादी 1,3

3– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी साक्ष्य हेतु शपथ वादी चुन्नीलाल पिता मुतबन्ना मेघा जी मीणा का प्रस्तुत किया, गवाह मदन पिता भागीरथ मीणा, राजु पिता नारायण जी गुर्जर,उँकार पिता नारायण जी मीणा,तथा परथा पिता हजारी मीणा का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया । वादी चुन्नीलाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर तस्दीक करते हुए दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श किया तथा अपने बयान कलमबद्ध कराये, जिरह में प्रतिवादी अधिवक्ता के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो जाने से उपस्थित नही आने से जिरह निल रही।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध मामला एक तरफा हो जाने से उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, इस प्रकार पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा घोषित कराने एवं हिस्सा वादी 1/2 अनुसार ही मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया । हमारे द्वारा पत्रावली में सभी प्रदर्श दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया जिनका उल्लेख हमारे द्वारा तनकी अनुसार निर्णय किये जाते वक्त किया जावेगा। पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वक्त जिरह की जा चुकी है इसी कारण हम इस दावा पत्रावली का निर्णय तनकी पत्र अनुसार मय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाना न्यायसंगत समझते है, अतः पत्रावली में कायम तनकी पत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है, वादी द्वारा दावा पत्रावली में अपने स्वयं बयान व गवाह के बयान हेतु साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराये है, प्रदर्श किये हुए दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें प्रदर्श–1 नकल जमावंदी मौजा महेसरा प0ह0 राजगढ की सं0 2070 यक 73की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 545, 546, 547, 548 किता–6 कुल रकबा 6.9200 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री चुन्नीलाल, नोला बशी घीसा भैरू रूकमाबाई मांगीबाई ओमाबाई पिता काना मु0 बालीबाई पत्नी स्व. काना मीणा हिस्सा बराबर सा.डेकडीखेडा खातेदार है तथा रहन हिस्सा नोला भैरू व हि0 2/9 बंशी व रूकमाबाई का पी.एन.बी. शाखा राजगढ के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल है जिसमें दर्ज गत आराजी नम्बर 648, 650, 647, 644, 643, 649, 641, 646645, 652/1,651 से वर्तमान आराजी नम्बर बने है। प्रदर्श–3 नकल नामान्तकरण संख्या 53 है जिसमें कजोड वल्द भागीरथ मीणा के नाम की भूमि का विरासत से श्री काना मेगा जी पिता कजोड के

पर उक्त नामान्तरण खोला गया है। प्रदर्श–4 नकल नामान्तरण संख्या 60 है जिसमें गत आराजी संख्या 641, 643, 646, 647, 649, 650, 651, 651/1 व अन्य नम्बरान से नवीन आराजी संख्या 545, 546, 547, 548 किता–4 कुल रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अंकन कनवर्सन आदेश से श्री काना पिता कजोड मीणा सा. डेकडीखेडा के नाम पर किया गया है। प्रदर्श–5 नकल नामान्तरण संख्या 20 है जिसमें गत आराजी नम्बर का इन्द्राज टीनेन्सी एक्ट की दफा 15 के तहत खातेदारी हक से श्री काना पिता कजोड मीणा के नाम पर किया गया इन्तकाल में नोट अंकित किया गया है यह इन्तकाल 25.1.65 की मीटिंग की हिदायत अनुसार पटवारी जी ने खोला है, कॉलम नं. 12 में अंकित रकबे व नम्बरान पर मुदत दराज से काना व इसके भाई मेगा का कब्जा चला आता है तीन चार साल हुवे मेगा फोत हो चुका उसके कोई पुत्र नहीं है वारिस काना ही है और यह अकेला काबिज है यह ग्राम जमीदारी सियासत का है। प्रदर्श–6 का अवलोकन किया गया यह नकल नामान्तरण संख्या 409 की जो कि विरासत से नामान्तरण श्री काना पिता कजोड मीणा की विरासत से श्री चुन्नीलाल, नोला बशी घीसा भैरू रूकमाबाई मांगीबाई ओमाबाई पिता काना मु0 बालीबाई पत्नी स्व. काना मीणा हिस्सा बराबर के नाम पर खोला गया है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–7 सहकारी किसान कार्ड की छायाप्रति है, यह कार्ड चुन्नीलाल पिता मेघा जी मीणा के नाम पर बना हुआ है इस कार्ड में वादी के पिता का नाम चुन्नीलाल के बजाय मेघा का नाम अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार परिवार राशनकार्ड जो कि प्रदर्श–8 है ,मे चुन्नीलाल के पिता का नाम मेघा अंकित किया हुआ है। तथा प्रदर्श–9 जॉबकार्ड मे चुन्नीलाल के पिता का नाम मेघा जी मीणा अंकित है। प्रदर्श–10 नकल भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी सं0 2028 की नकल है जिसमें वादवर्णित भूमि के गत नम्बर सिवाचक काबिल काश्त का मजकूर अंकित हुआ है। प्रदर्श–10 नकल नामान्तरण संख्या 90 की प्रति कि जो काना मेघा पिता कजोड मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा बराबर का नामान्तरण मेघा की मृत्य से विरासत के द्वारा श्री काना पिता कजोड, चुन्नीलाल पिता मेघा मीणा सा.देह खातेदार के नाम पर खोला गया है। यह ठोस सबूत वादी द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रदर्श–12 भारत निर्वाचन आयो का कार्ड है जो कि चुन्नीलाल पिता मेघा के नाम पर बना हुआ है। प्रदर्श–13 नकल जमाबंदी मौजा डेकडीखेडा की सं0 2067 से 70 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 80, 81, 82, 100, 116, 306, 315, 316, 317, 318, 384, 392 किता– 12 कुल रकबा 4.4900 हैक्टर भूमि श्री चुन्नीलाल नोला बंशी घीसा भैरू रूकमाबाई मांगीबाई ओमबाई पिता काना बालीबाई पत्नी काना 1/2 व चुना पिता मेघा 1/2 मीणा सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है। इन सभी दस्तावेज से मामला स्पष्ट हो जाता है कि वाद वर्णित आराजीयात में काना व मेघा का 1/2 हक हिस्सा निहित था जिसमें मेघा के फोत हो जाने पर वर्णित सभी आराजीयात काना के नाम व उनके बाद उनके पुत्र पुत्रियों व उनकी बेवा के नाम पर दर्ज कर दी गई है जबकि मेघा द्वारा काना के पुत्र चुन्नीलाल को गोद ले रखा था यह त्रुटि नामान्तरण संख्या 20 जो कि प्रदर्श–5 है के खोले जाते वक्त की गई है, वादी अपना नाम वाद वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से से घोषित करा पाने के अधिकारी पाये जाते है क्यो कि वादी द्वारा अपनी साक्ष्य व गवाहो की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज से सिद्ध कर दिया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा इस वादपत्र के विरूद्ध जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी को मेघा का गोदपुत्र नहीं बताया था ,लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब की पुष्टि में इस दावा पत्रावली मे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है तथा न्यायालय में उपस्थित ही नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सभी तथ्यों को प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर सही माना जाने से यह तनकी नम्बर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, तनकी नम्बर में 1 जो कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है में प्रतिवादीगण के जवाब एवं उनके न्यायालय मे उपस्थित ही नहीं होने के सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख किया गया है, प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने एवं उनके द्वारा अपने जवाबदावे की पुष्टी में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण इस तनकी को अपने पक्ष मे सिद्ध नहीं करा सकें। अतः यह तनकी नम्बर 2 भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी पत्र दस्तावेज साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारार 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम का स्वीकार जाता है, मौजा महेसरा पटवार हल्का राजगढ की आराजी संख्या 454, 546, 547, 548 किता–4 कुल रकबा 6.9200 हैक्टर भूमि का वादी चुन्नीलाल पिता मुतबन्ना मेघा जी मीणा को निवासी डेकडीखेडा को 1/2 हक का खातेदार घोषित किया जाता है, शेश 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 का 1/2 हक हिस्सा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।साथ ही तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी से कमिश्नर शुल्क प्राप्त कर निर्णय अनुसार वर्णित आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की पालना में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक 2966 दिनांक 08.07.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होनपा स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा महेसरा पटवार हल्का राजगढ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– चुन्नीलाल मुत.मेघा (पिता काना) मीणा हिस्सा 1/2 सा0देह डेकडखेडा खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
545	0.11	
546	0.98	
548	2.29	
कीता–3	3.38 हैक्टर	

1– अमरीबाई पत्नी स्व. भैरू मीणा हिस्सा 1/42
2– ओमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
3– कंकू पुत्री काना भैरू मीण हिस्सा 1/42
4– घीसा पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/7
5– दलीचंद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42
6– नोला पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
7– प्रहलाद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42
8– बंशी पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/7
9– मांगीबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
10– रूकमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
11– रामुबाई पुत्री भैरू मीणा हिस्सा 1/42
12– सत्यनारायण पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
545 मे से	0.15	
546 मे से	0.98	
548 मे से	0.35	
548 मे से	1.90	
कीता–4	3.38 हैक्टर	

चुन्नीलाल मुत.मेघा (पिता काना) मीणा हिस्सा 1/84
मरीबाई पत्नी स्व. भैरू मीणा हिस्सा 1/14
3– कंकू पुत्री काना भैरू मीण हिस्सा 1/84
4– घीसा पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/14
5– चुन्नीलाल पिता काना मीणा हिस्सा 1/2
6– दलीचंद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84
7– नोला पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
7– प्रहलाद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84
8– बंशी पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/14
9– मांगीबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
10– रूकमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
11– रामुबाई पुत्री भैरू मीणा हिस्सा 1/84
12– सत्यनारायण पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
547	0.08	
548 मे से	0.08	
कीता–2	0.16 हैक्टर	

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 29.08.2024को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 0 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या :– 36/2015

चुन्नीलाल पिता मुतबन्ना मेघा जी मीणा निवासी डेकडीखेकडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1– नोला पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2– बंशी पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
3– धीसा पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4– भैरू पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ फोत के बजाय–
4/1– प्रहलाद पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/2– सत्यनारायण पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/3– दलीचंद पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/4– कंकू पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/5– रामू पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
4/6– अमरी पिता भैरू मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
5– रूकमाबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी भंवरलाल जी मीणा बरून्दनी तहसील मांडलगढ़
6– मांगीबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी उर्जन जी मीणा ग्राम दुगार तहसील बेगूँ
7– ओमाबाई पिता काना जी मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
हाल पत्नी चुन्नीलाल जी मीणा निवासी फुलसरिया (विजयपुर) तह. चितौडगढ़
8– पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
9–राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
10– श्री तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 88 –53 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.08.2024. को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा महेसरा पटवार हल्का राजगढ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– चुन्नीलाल मुत.मेघा (पिता काना) मीणा हिस्सा 1/2 सा0देह डेकडखेडा खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
545	0.11	
546	0.98	
548	2.29	
कीता–3	3.38 हैक्टर	

2– अमरीबाई पत्नी स्व. भैरू मीणा हिस्सा 1/42
2– ओमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
3– कंकू पुत्री काना भैरू मीण हिस्सा 1/42
4– घीसा पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/7
5– दलीचंद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42
6– नोला पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
7– प्रहलाद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42
8– बंशी पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/7
9– मांगीबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
10– रूकमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/7
11– रामुबाई पुत्री भैरू मीणा हिस्सा 1/42
12– सत्यनारायण पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/42

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
545 मे से	0.15	
546 मे से	0.98	
548 मे से	0.35	
548 मे से	1.90	
कीता–4	3.38 हैक्टर	

1– चुन्नीलाल मुत.मेघा (पिता काना) मीणा हिस्सा 1/84
2– अमरीबाई पत्नी स्व. भैरू मीणा हिस्सा 1/14
3– कंकू पुत्री काना भैरू मीण हिस्सा 1/84
4– घीसा पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/14
5– चुन्नीलाल पिता काना मीणा हिस्सा 1/2
6– दलीचंद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84
7– नोला पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
7– प्रहलाद पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84
8– बंशी पुत्र काना मीणा हिस्सा 1/14
9– मांगीबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
10– रूकमाबाई पुत्री काना मीणा हिस्सा 1/14
11– रामुबाई पुत्री भैरू मीणा हिस्सा 1/84
12– सत्यनारायण पुत्र भैरू मीणा हिस्सा 1/84

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
547	0.08	
548 मे से	0.08	
कीता–2	0.16 हैक्टर	

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

दिनांक ::–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/
अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जाती हैं

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू